छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 553/2009

1.	श्री संतोष कुमार जैन, मेन रोड़, नावेल्टी स्टोर के पास, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छत्तीसगढ़)	–	अपीलार्थी

विरूद्ध

1.	जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रबंधक संचालक, लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या0, दण्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)	–	प्रति अपीलार्थी

//आदेश//
(दिनांक 16 अक्टूबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री संतोष कुमार जैन द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/प्रबंध संचालक, लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या0 दण्तेवाड़ा के समक्ष दिनांक 22.12.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 09.02.2009 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.03.2009 को आदेश पारित कर 15 दिवस में निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु उसके बाद भी उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 04.06.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। प्रकरण में विलंब के लिए अनुविभागीय अधिकारी, गीदम को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 05.10.2009 के पत्र द्वारा वन मण्डलाधिकारी/प्रबंध संचालक की ओर से प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने समय–समय पर जानकारी उपलब्ध कराने का उल्लेख किया है। पूर्व में चूंकि दिनांक 19.08.2009 को रजिस्ट्री डाक से जानकारी भेजना बताया गया था तथा बाद में यह बताया गया कि दिनांक 06.10.2009 को अपीलार्थी ने आकर जानकारी प्राप्त कर ली है। प्रकरण में अपीलार्थी का पत्र दिनांक 12.10.2009 को फैक्स से प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि भेजी गई जानकारी उन्हें प्राप्त हो गई है और पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है तथा इस संबंध में उनका कोई क्लेम नहीं है। अतः उपरोक्त स्थिति में चूंकि अपीलार्थी भी अब प्राप्त जानकारी से संतुष्ट है, अतः शास्ति आरोपित करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, किन्तु जन सूचना अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, गीदम को भविष्य में जानकारी समयावधि में देने के लिए सचेत किया जाकर जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com